

राजस्थान-सरकार  
कार्यालय जिला कलक्टर, सीकर  
क्रमांक/भू.अ./12/ दिनांक:-  
::आदेश::

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.9 (31)राज-1/09/90 जयपुर दिनांक 14.12.09 द्वारा राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956 की धारा 16 के प्रावधानों के अन्तर्गत जिले में 06 नवीन राजस्व ग्राम घोषित करने की अधिसूचना जारी की है। उक्त अधिसूचना की पालना में निम्न तालिका के कॉलम नम्बर 4 में अंकित मजरे/ढाणी को एतद् पश्चात राजस्व ग्राम के रूप में माना तथा अभिलिखित किया जावेगा-

क्र. सं.	नाम तहसील	मूल राजस्व ग्राम का नाम	अधिसूचना से नव सृजित राजस्व ग्राम	जनसंख्या	क्षेत्रफल (है.)
1	2	3	4	5	6
1	लक्ष्मणगढ	भीलूण्डा	सेवदा की ढाणी	390	161.87
2	लक्ष्मणगढ	बठोठ	ढाका की ढाणी	308	172.37
3	दांतारामगढ	चिड़ासरा	ब्रिजारणिंया की ढाणी	875	343.17
4	दांतारामगढ	भीमा	शेषमा की ढाणी	712	266.72
5	श्रीमाधोपुर	आभावास	भगत सिंह नगर	1687	685.12
6	श्रीमाधोपुर	गढी खानपुर	पीपेड़ा बालाजीनगर	681	363.35

नवीन राजस्व ग्रामों के गठन से प्रभावित उपर्युक्त मूल एवं नवीन राजस्व ग्रामों के अभिलेखों के अलग-अलग संधारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 107 के अन्तर्गत अभिलेखों का परिशोधन कार्य सम्बन्धित तहसीलदार, राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.9(16)राज-1/07 दिनांक 3.10.07 के अनुसार निस्पादित कर इस कार्यालय को अवगत करायेंगे।

sd -  
जिला कलक्टर  
सीकर

दिनांक:- 3-7-12

क्रमांक/भू.अ./12/ 2727-775

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. श्री महादेव सिंह खण्डेला मा. सांसद, सीकर।
2. श्री दीपेन्द्र सिंह मा. विधायक श्रीमाधोपुर।
3. श्री अमरा राम मा. विधायक, दांतारामगढ।
4. श्री गोविन्द सिंह डोटसरा मा. विधायक लक्ष्मणगढ।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ:-

1. उपशासन सचिव राजस्व (ग्रुप-1) विभाग, जयपुर।
2. उप निबन्धक (भू.अ.) राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
3. संभागीय आयुक्त जयपुर संभाग, जयपुर।
4. जिला पुलिस अधीक्षक, सीकर।
5. अपर जिला कलक्टर, सीकर।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, सीकर।

.....2